भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''कपास भवन'' एस.सी.ओ. 7–11, न्यू हाउसिंग बोर्ड,
बरनाला रोड,सिरसा – 125055 (हरियाणा)
दूरभाष नं.: 01666-2448601; फैक्स : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST- 06AAACT4053B1ZW

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Kapas Bhavan" S.C.O,-7-11, New Housing Board,,
Barnala Road, Sirsa – 125055 (Haryana)
Tel.No. : 01666-2448601; Fax : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST - 06AAACT4053B1ZW

सूचना का अधिकार

दिनांक:31.10.2019

अल्पावधि कपास परिवहन निविदा सूचना (Short Term Tender Notice)

निगम शाखा कार्यालय, सिरसा के अधीनस्थ सिरसा,कालांवाली केन्द्र एवं भंडारण स्थलों से आदमपुर,उचाना कपास के परिवहन हेतु टेण्डर आमंत्रित करता है । टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के शाखा कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है । परिवहन कार्य हेतु निविदा सुचना, निविदा फॉर्म तथा नियम एवं शर्तें निगम की वेबसाइट www.cotcorp.org.in से भी डाउनलोड की जा सकती है | वेबसाइट से डाउनलोड करने पर 112/- रूपये (जीएसटी सहित) का डिमांड ड्राफ्ट जोकि भारतीय कपास निगम लि. सिरसा के पक्ष में देय हो, निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ लगाना आवश्यक है | पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा फॉर्म सीलबंद लिफाफे में, अर्नेस्ट मनी रु॰ 50,000/- (रुपए पचास हज़ार केवल) प्रति केंद्र/स्थान अनुसार दिनांक 06.11.2019 को दोपहर 01:00 बजे तक शाखा कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है | शाखा प्रबन्धक को संबोधित निविदा आवेदन के लिफाफे पर "कपास परिवहन हेतु निविदा वर्ष 2019-20" लिखा होना अनिवार्य है। निविदायें दिनांक 06.11.2019 को दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी | MSE द्वारा संबन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वे निविदा शुल्क एवं अर्नेस्ट मनी से मुक्त होंगी। निगम किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

उप महाप्रबंधक

भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''कपास भवन'' एस.सी.ओ. 7–11, न्यू हाउसिंग बोर्ड,
बरनाला रोड,सिरसा – 125055 (हरियाणा)
दूरभाष नं.: 01666-2448601; फैक्स : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST- 06AAACT4053B1ZW

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Kapas Bhavan" S.C.O,-7-11, New Housing Board,,
Barnala Road, Sirsa – 125055 (Haryana)
Tel.No. : 01666-2448601; Fax : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST - 06AAACT4053B1ZW

सूचना का अधिकार

Tender form fees: Rs. 112/- (including GST)

तकनीकी बिड - I (Technical Bid - I)

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 06.11.2019 दोपहर 1.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक : 06.11.2019 दोपहर 3.00 बजे

कपास परिवहन कार्य का फार्म - अवधि 06.11.2019 से 31.05.2020 तक

1.	परिवहनकर्ता का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर	....
2.	परिवहनकर्ता के साझेदारों के नाम	.....
3.	परिवहनकर्ता के सिरसा,कालांवाली / केन्द्र प्रतिनिधि का नाम	....
4.	परिवहनकर्ता के सिरसा,कालांवाली /केन्द्र प्रतिनिधि का पता व फोन नंबर	.....
5.	स्वयं के ट्रकों/ ट्राली की संख्या तथा अनुबंधित ट्रकों/ ट्राली की संख्या:	.....
6.	निविदा फीस राशि का विवरण **(रुपए112/- केवल का ड्राफ्ट साथ संलगन करे)**	ड्राफ्ट नंबर :.....दिनाक :..... बैंक का नाम :.....राशि.....
7.	धरोहर राशि का विवरण **(प्रति केंद्र/स्थान रुपए. 50,000/- केवल का ड्राफ्ट साथ संलगन करे)**	ड्राफ्ट नंबर :.....दिनाक :..... बैंक का नाम :.....राशि.....
8.	GST रजिस्ट्रेशन नंबर (फार्म के साथ फोटोप्रति संलग्न करें)	.....
9.	पैन नंबर (PAN No)	

	(प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलगन करे)	.....
10.	स्थाई पता व फोन नंबर (आधर कार्ड की फोटो प्रति संलगन करें)	....
11.	क्या ठेकेदार/फ़र्म MSE मे रैजिस्टर्ड है ?	**हाँ / नहीं** यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलगन करे।
12.	यदि ठेकेदार/फ़र्म MSE है तो क्या SC/ST है?	**हाँ / नहीं** यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलगन करे।
13.	क्या ठेकेदार/फ़र्म startup श्रेणी के अंतर्गत है ?	**हाँ / नहीं** यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलगन करे।

नोट :- टेंडर फॉर्म के साथ निविदा शुल्क का ड्राफ्ट, धरोहर राशि का ड्राफ्ट, जीएसटी नंबर (यदि लागू हो तो) एवं पैन नंबर की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है |

मोहर एवं हस्ताक्षर .....

स्थान ..... परिवहनकर्ता का नाम.....

दिनांक..... मोबाइल नंबर .....

Note:

1. **For each Centre/place separate tender has to be submitted.**
2. **The tenderer must enclose demand draft of requisite amount of Rs.50, 000/- of EMD and tender fees of Rs.112/- (if tender form downloaded).**
3. **The tenderer must have Provident fund Number allotted by P.F. department. (Xerox copy to be attached)**
4. **Xerox copy of PAN No (Name of contractor/firm and name on PAN should match)**
5. **Xerox copy of GST No, if applicable (Name of contractor/firm and name on GST should match)**

भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''कपास भवन'' एस.सी.ओ. 7–11, न्यू हाउसिंग बोर्ड,
बरनाला रोड,सिरसा – 125055 (हरियाणा)
दूरभाष नं.: 01666-2448601; फैक्स : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST- 06AAACT4053B1ZW

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Kapas Bhavan" S.C.O,-7-11, New Housing Board,,
Barnala Road, Sirsa – 125055 (Haryana)
Tel.No. : 01666-2448601; Fax : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST - 06AAACT4053B1ZW

सूचना का अधिकार

वित्तीय बिड - II (Financial Bid - II)

कपास **परिवहन के लिये निविदा** अवधि कार्य आदेश से 31.05.2020 तक

परिवहनकर्ता का नाम एवं पता ----------

टेलीफोन नंबर ----------

क्रम संख्या	केन्द्र	स्टेशन जहाँ कपास जाना है (दर प्रति क्विंटल)							
		सिरसा	**कलांवाली**						
1.	भूना								
2.	हांसी								
3	महम								
4	भिवानी								
5	चरखी दादारी								
6	फतेहावाद								
7	बरवाला								

- मैंने निगम की संलग्न नियम एवं शर्ते पढ़ ली है और मुझे मान्य है। परिवहन कार्य में लोडिंग तथा अनलोडिंग शामिल नहीं हैं ।
- सभी दरें Excluding GST होंगी ।

- **परिवहनकर्ता का नाम, सील एवं हस्ताक्षर**

भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''कपास भवन'' एस.सी.ओ. 7–11, न्यू हाउसिंग बोर्ड,
बरनाला रोड,सिरसा – 125055 (हरियाणा)
दूरभाष नं.: 01666-2448601; फैक्स : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST- 06AAACT4053B1ZW

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Kapas Bhavan" S.C.O,-7-11, New Housing Board,,
Barnala Road, Sirsa – 125055 (Haryana)
Tel.No. : 01666-2448601; Fax : 01666-248604
email : sirsa@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: 1490 MH 1970 GO 10147363 /GST - 06AAACT4053B1ZW

सूचना का अधिकार

कपास परिवहन करने एवं निविदा भरने के लिये शर्तें

1. सभी कपास परिवहनकर्ता को सड़क परिवहन द्वारा ही भेजनी पड़ेगी । यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती । इसके लिये परिवहनकर्ता को अपनी न्यूनतम दर प्रति किवंटल देनी पड़ेगी । परिवहनकर्ता द्वारा दी गई प्रति क्विंटल दर में उचित खर्चे (इन्सीडेंटिल खर्चे) भी शामिल होंगे । तथा लोडिंग/अनलोडिंग की दर अलग से दी जाये । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस निविदा की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्जों के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा । उस हालत में भी परिवहनकर्ता उन्हीं दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । अत: निविदा में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती ।

2. कपास द्वार प्राप्ति (Door Delivery) के आधार पर बुक की जायेगी । दिये गये केन्द्रों से कपास उठाकर गंतव्य स्थान का पता जो भी हो, पहुँचानी होगी। यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर कपास की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 10 KM तक के पथान्तर (Diversion) के लिये ट्रांसपोर्टर को कोई पथान्तर शुक्ल (Diversion Charge) नहीं दिया जायेगा ।

3. कपास गंतव्य स्थान पर ट्रकों/वाहनो के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी । जो ट्रक/वाहन पहले पहुँचेगा उसको पहले उतारा जायेगा । ऐसी हालत में अगर ट्रक/वाहन लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नही दिया जायेगा ।

4. निविदा में L-1 की गणना दरों के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए अलग से की जाएगी.

5. धरोहर राशि जो की रु.50000/- केवल है जो कि प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग होगी.

6. कपास परिवहन आदेश जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त कपास भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा कपास के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रांसपोर्टर को G.R. No. व कपास का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय, सिरसा को सूचित करना होगा ।

7. कपास के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर कपास की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान कपास तिरपालों से ढँकी होनी चाहिये । किसी कारणवश परिवहन के दौरान कपास को होने वाली हानि के लिये ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा । लोडिंग के समय लिए गए कपास के वजन को ही गंतव्य स्थान पर सुपुर्द करना होगा | वजन मे किसी भी प्रकार की कमी

पाये जाने पर उसकी क्षति पूर्ति परिवहन कर्ता को करनी होगी | इसके लिए निगम द्वारा परिवहन कर्ता के बिल से/अन्य देय बकाया राशि से भी कटौती की जाएगी |

8. ट्रकों/वाहनो की हालत अच्छी होनी चाहिये । अगर ट्रकों/वाहनो में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों/वाहनो की पूरी तरह सफाई करवाकर ही कपास लोड की जाये । ओवेर्लोडिंग की लिए परिवहन कर्ता स्वय जिम्मेदार होगा एवं इसके लिए निगम कि किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी |

9. प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक तालिका (Statement) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें कपास की मात्रा, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि, स्टेशन, जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।

10. निविदा में दी गई दरें 31.05.2020 तक के लिये मान्य होगी ।

11. सीलबन्द निविदा एक बन्द लिफाफे में भेजनी होगी । लिफाफों पर स्पष्ट तौर पर परिवहनकर्ता का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है कि **"कपास परिवहन हेतु निविदा"** । फैक्स या ई.मेल से प्रेषित टेण्डर स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे ।

12. टेण्डर शाखा कार्यालय, सिरसा में दिनांक 06.11.2019 को दोपहर 01:00 बजे तक पहुँचाने अनिवार्य होंगे । इस समय उपरान्त प्राप्त किये गये टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे । टेण्डर उसी दिन सभी परिवहनकर्ताओं के सामने सायं 03:00 बजे खोले जायेंगे ।

13. यदि दो या दो से अधिक ट्रांसपोर्टर एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो यह टेण्डर कमेटी के पूर्ण अधिकार में होगा कि किस ट्रांसपोर्टर को कार्य दे अथवा रिटेण्डर या सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर में प्रतिस्पर्धा करायें ।

14. कोई भी टेण्डर या सभी टेण्डर या उसके कोई भाग को रद्द करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है । हालांकि सम्बन्धित पार्टी टेण्डर रद्दीकरण का कारण निगम से प्राप्त कर सकती है ।

15. टेण्डर फार्म में दर्शाई गई सभी शर्तो के फलस्वरूप यदि कोई (Dispute) शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम की सिरसा शाखा के समक्ष अधिकार क्षेत्र में होगा कि उसका क्या निर्णय लिया जाये । ऐसी हालत में उस सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा । किसी प्रकार के कानूनी झगड़े के लिये अधिकार क्षेत्र का न्यायालय सिरसा होगा ।

16. टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टर द्वारा निविदा में दी गई शर्ते ध्यान में रख लेनी चाहिये । एक बार टेण्डर भरने के बाद यह माना जायेगा कि टांसपोर्टर ने इस फार्म में दी गई शर्ते ध्यान से पढ़ ली व इन शर्तो को मानते है व इन शर्तो के अन्तर्गत कार्य के लिए तैयार व बाध्य हैं ।

17. कपास लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी G.R. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये । यातायात के दौरान किसी भी कपास में मिलावट नहीं होनी चाहिये । कपास सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचनी अनिवार्य होगी । कपास को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा । यदि किसी कारणवश सम्भव न हो तो एक से ज्यादा ट्रांसशिपमेन्ट की अनुमति नही होगी । कपास लोडिंग

के पश्चात उसी दिन गंतव्य स्थान पर पहुँचनी चाहिए | कपास निर्धारित अवधि के अंदर गंतव्य स्थान पर नही पहुँचती है तो 5/- रूपये प्रति क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से देरी की पेनल्टी परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देयकों से कटौती की जायेगी ।

18. कपास **टू बी बिल्ड** के आधार पर भेजी जा सकती है । टू बी बिल्ड जाने वाली गॉठों का भुगतान बिल प्रेषण के 15 दिन के अन्दर-अन्दर किया जायेगा ।

19. टेण्डर केवल निगम की शर्तो पर ही मान्य होंगे । इसके लिये ट्रांसपोर्टर की कोई शर्त मान्य नही होगी ।

20. यदि कपास परिवहन के दौरान रास्ते में कोई दुर्घटना/अग्नि दुर्घटना एवं अन्य घटना हो जाती है तो Preliminary Survey कराये बिना वहॉ से ट्रक/वाहन तथा साल्वेज को तब तक न हटाया जाए जब तक सर्वेयर द्वारा सर्वे का काम पूरा नही कर लिया जाता है । ट्रांसपोर्टर का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) Fire Brigade Report/Non Delivery Certificate पंचनामा आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे । ट्रांसपोर्टर द्वारा FIR में अग्नि दुर्घटना में शामिल कपास की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी । क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, सिरसा को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी ।

21. ट्रासंपोर्टर द्वारा पूरे कपास की मूल बिल्टी/जी.आर प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा । (जी.आर.की फोटोप्रति मान्य नहीं होगी)

22. परिवहनकर्ता को कपास परिवहन हेतु केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रतिदिन केन्द्र/गोदाम से उठाई जाने वाले कपास का विवरण शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।

23. बिलों से टी.डी.एस सरचार्ज तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा ।

24. परिवहनकर्ता अपना PAN तथा GST नंबर अवश्य प्रस्तुत करे ।

25. परिवहनकर्ता अपने कार्यालय के साथ-साथ आवास का पता एवं टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स नंबर/ई-मेल आयडी/ भी अपनी निविदा में दे । हरियाणा से बाहर के वही परिवहनकर्ता निविदा दे सकेंगे जिसका कोई प्रतिनिधि या कोई शाखा सिरसा या निगम के केन्द्रो के नजदीक क्षेत्र में भी कार्य करता हो ताकि उससे तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके ।

26. परिवहनकर्ता द्वारा यदि निर्धारित अवधि में कपास नहीं उठाई जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देय बकाया राशि से कटौती कर की जाएगी |

27. निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा कि उसने निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है । परिवहनकर्ता निविदा सम्बन्धी शर्तो पर अपने हस्ताक्षर मय स्टॉम्प के निविदा फार्म के साथ लगाए ।

28. किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा ।

29. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू या लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । जिसका भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा |
30. कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहनकर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

31. कर में छूट (Tax Exemption) का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये ।

32. शाखा कार्यालय दुवारा बिल का भुगतान प्राप्ति दिनांक के 15 दिन के अन्दर किया जायेगा । बिलों का भुगतान सर्विस टैक्स/टी.डी.एस एवं अन्य कर के तत्कालीन नियमानुसार काटकर किया जायेगा । प्रत्येक बिल के भुगतान में से 10 प्रतिशत राशि काटी जायेगी तथा धरोहर राशि संपूर्ण कार्य संतोषप्रद निष्पादन होने के बाद बिना किसी व्याज के वापिस की जायेगी ।

33. यदि परिवहनकर्ता आलाट किये गये टेंडर की फाइनल दरों पर कार्य करने पर असमर्थता दर्शाता है व आनाकानी करता है तो अर्नेस्टमनी (EMD)/धरोधर राशि जब्त कर उस परिवहनकर्ता को निगम के परिवहनकर्ता ठेका लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है एवं निगम अन्य न्यूनतम दर भरने वाले टेंडर कर्ता को कपास परिवहन कार्य आलाट कर सकता है ।

34. कपास के परिवहन हेतु GST E-Way Bill बनाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । यदि GST E-Way Bill बनाने में लापरवाही के कारण निगम को GST act & provisions के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि/ देनदारी उत्पन्न होती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी ।

35. निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह कार्यानुसार अपने विवेकाधिकार से एक या अधिक परिवहनकर्ता को अनुबंधित करे ।

36. कपास उठाते समय परिवहनकर्ता को अपनी कंपनी के लैटरहैड पर कपास सही स्थिति में ली गई है, ऐसा प्रमाण-पत्र लिखकर देना होगा ।

37. जिन परिवहनकर्ताओं की दर निगम द्वारा स्वीकृत होती है उन्हें 500/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा और अपने अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम सूचित करना होगा । परिवाहक को कार्य का आबंटन उनके द्वारा परिवहन अनुबंध होने के बाद ही किया जायेगा ।

38. किन्हीं विशेष परिस्थितियों में परिवहन कार्य अधिक होने की दशा में एक से अधिक परिवहनकर्ता को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है। जिस परिवाहक की संबंधित गंतव्य स्थान हेतु न्यूनतम दर प्राप्त होती है, को L-1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L-2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो । यदि L-2 परिवाहक L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो समस्त कार्य L-1 को ही आबंटित किया जायेगा ।

39. परिवहनकर्ता को केन्द्र कार्यालय से निर्देश जारी होने के तत्काल पश्चात ट्रक/वाहन की व्यवस्था कर कपास को उठाना होगा ।

40. निगम न्यूनतम कार्य देने के लिए बाध्य नहीं है | परिवहनकर्ता को निगम का उपलब्ध कार्य सुचारु रूप से करना होगा |

41. परिवहनकर्ताओं को निम्न प्रकार निविदा प्रस्तुत करनी होगी :-

a) लिफाफा 'क' -लिफाफा 'क' पर तकनीकी बिड लिखकर उसमें तकनीकी बिड-I रखें ।

b) लिफाफा 'ख' -लिफाफा 'ख' पर वित्तीय बिड लिखकर उसमें तकनीकी बिड-II रखें ।

c) लिफाफा 'ग' -लिफाफा 'ग' पर परिवहन कार्य हेतु निविदा लिखकर उसमें लिफाफा 'क' और लिफाफा 'ख' रखें ।

टिप्पणी -हर लिफाफे पर निविदाकर्ता का नाम व पता होना चाहिये ।

42. तकनीकी बिड-I में सफल हुए परिवहनकर्ताओं की ही वित्तीय बिड- II खोली जायेगी ।

मैंने निगम के सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ़ ली है तथा हम इन नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य हैं ।

परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक ---------- **मय रबर स्टॉम्प के साथ**

(To be given on the printed letter head of the transporter)

To,

The Branch Manager,
The Cotton Corporation of India Ltd,
_____
_____

Subject: Authority letter for negotiation/finalization of Transportation rates up to 31.05.2020

Sir,

We hereby authorize Shri _____ (Name) _____ (Designation) of behalf of M/s _____ for negotiation and finalization of transportation rates.

Further, We submit that we are a sole proprietor/partnership/limited company and we have full authority to authorize Shri _____ as our representative whose specimen signature is given herein below:-

_____
(specimen signature)

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the Authorised Signatory)

Name & Designation: _____

Name of the Firm : _____

Seal of the Firm : _____